न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 57 / 2018

अनवान : –

1. चिड़िया पुत्री मल्लुराम जाति मेघवाल निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
2. मैसरी पुत्री मल्लुराम जाति मेघवाल निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
3. चानणीदेवी पुत्री मल्लुराम जाति मेघवाल निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
4. द्वारका देवी पुत्री मल्लुराम जाति मेघवाल निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. हंसराज पुत्र मल्लुराम जाति मेघवाल निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
2. धनराज पुत्र मल्लुराम जाति मेधवाल निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
3. रधवीर पुत्र हंसराज जाति मेघवाल निवासी सोतीबीड़ी तहसील नोहर।
4. लेखुराम पुत्र हंसराज जाति मेघवाल निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायलान**
श्री विजय सिंह कड़ावसरा अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांकः 11/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 41 की 16.2020 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के बहिब 1/4 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 42/57 की कुल 0.2530 हैक्ट भूमि एवं इसी प्रकार रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 59/81 की कुल 2.0870 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि में सायलान स0 1 ता 4 व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 गैरसायल स0 1 के साथ बहिब यानि प्रत्येक 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। गैरसायलान संख्या 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा पाने के अधिकारी है। गैरसायलान ने मल्लुराम पुत्र सोहना से मिली भगत कर साहना वल्द रामनाथ की सायलान के दावा में वर्णित भूमि कतई गलत तौर से तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 10.10.2008 के आधार पर अपने नाम कराई गलत व अनुचित तौर से दर्ज करवा ली जबकि मल्लुराम को वाद भूमि में 1/8 हिस्से से अधिक भूमि की वसीयत करवा पाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.25 18:56:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

का कोई अधिकार नही था। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल स0 1 ता 4 के नाम अनुचित तौर से दर्ज होने के कारण गैरसायल उक्त भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए सायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे की वे उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 41/48, 58, 59 की 16.2020 हैक्ट में से 1/4 हिस्सा भूमि यानि की 4. 0505 हैक्ट एवं रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 42/57 की कुल 0.2530 हैक्ट भूमि एवं इसी प्रकार रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नेाहर के खाता स0 59/81 की कुल 2.0870 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा कृषि भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से प्रार्थीगण के के हक हिस्सा की भूमि का बेचान न करें।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि उक्त वाद भूमि की दिनांक 30.03.2000 को वसीयत करवाई गयी है। उक्त वसीयत के आधार पर उत्तरदातागण के नाम भूमि दर्ज हुई है जिसमें सायलान का कोई हक हिस्सा नही है। गैरसायलान रिकार्डेड खातेदार है अतः अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त वाद भूमि की वसीयत दिनांक 30.03.2000 को गैरसायलान के पक्ष में की गई है। उस समय हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 09.09.2005 फोर्स में नही था इसका प्रभाव पश्चातवर्ती है तथा उक्त भूमि 09.09.2005 से पहले गैरसायलान के पक्ष में वसीयत कर दी गई थी सायलान को जो भी हक हिस्सा है वाद में तय किया जाना है जबकि प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि पैतृक है जिसमें हमारा जन्मजात हक हिस्सा है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वसीयत के मुताबिक दिनांक 30.03.2000 को उक्त वसीयत गैरसायलान के पक्ष मे निष्पादित की गई थी वसीयत के खंडन में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है अर्थात वसीयत आदिनांक वैध है। सायलान का हक हिस्सा मूल वाद मे तय होना सायलान द्वारा कोई ठोस साक्ष्य पेश नही किया है उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनो ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.25 18:56:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 30.05.2018 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.25 18:56:49 IST
Reason: SelfAttested